

समापन—X
(अध्याय 5 पैरा 5.13)
विधि और न्याय मंत्रालय
विचारी विभाग
नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012

कांजा 1732 (अ) -केंद्रीय सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 की 43) की धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्याय 5 परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षेप नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है।
 (2) ये राजपत्र में उनका प्रकाशन की तिथि का प्रवृत्त होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के प्रकरण 20 और उनका संशोधन प्रविष्टियां को स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात् -

प्रकरण 20
 (नियम 40 देखिए)



27-कोलारस (मध्यप्रदेश)

निर्वाचन क्षेत्र सं. 858

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (राज्य का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अस्थायी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव

मैं महेश **पुत्र रामचंद्र का छोटा बेटा ब्राह्मण समाज में मोस्ट बहुराज्य लक्षणों कोलारस जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हूँ। मैंने 858 निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए निर्वाचन किया है/कराया है। राज्य पर निर्वाचन के लिए निर्वाचन किया है।

(1) मैं स्वतंत्र अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र में लड़ रहा हूँ।
 (*यदि आप न तो उसे कोट करें*)

- (2) मेरा नाम 27 कोलारस (मध्यप्रदेश) निर्वाचन क्षेत्र का नाम। मेरा भवना 858 निर्वाचन क्षेत्र का नाम।
- (3) मेरा पता 858 निर्वाचन क्षेत्र का नाम। मेरा पता 858 निर्वाचन क्षेत्र का नाम।

Handwritten signature and text in blue ink.

नहीं

(1) राज्य नोकरा मरुदाक (पुन) के द्वारा और अन्य-लाभ शिल्लो आदल-वाकने की प्रारिखति

क्रम	नाम	रत	विक्रम या किरक-दिव	आयकर शिखरी
1	रयम महन्त	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2	पति पखोबाई	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	आश्रित-1 प्रियंका	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	आश्रित-2 रामानंद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लखित मामले में दो वर्षों या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराध) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें राज्य अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/किये गए हैं।

यदि अभिरक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराध) का/की अभियुक्त है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करगी -

(i) निम्नलिखित मामला (मामला) में विरुद्ध लखित है जिसमें दो वर्षों या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/किये गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना शिफर्ट सख्या/सख्याओं सहित स्थिति	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियम) की प्राण (प्राण) और अपराध (अपराध) का संबंधित विवरण जिसका उल्लेख किया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, नामला सख्या और सजा के रूप में की तारीख।	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसके (जिसके) द्वारा आरोप (अपराध) की शिल्लता	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीख) जिसकी शिल्लता विरहित की गई है।	लागू नहीं होता
(च)	जहाँ सभी या कोई कोई भी जहाँ राज्य अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शिल्लता	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामला) में विरुद्ध लखित है/हूँ जिसमें न्यायालय द्वारा सजाब लिया गया है (पूर्विलत नद (i) में प्राणित मामला से भिन्न) -

(क)	न्यायालय का नाम, मामला सख्या और सजाब के रूप में की तारीख।	लागू नहीं होता
(ख)	एक मामला का प्राण जहाँ न्यायालय से सजाब लिया है। अधिनियम (अधिनियम) की प्राण (प्राण) और अपराध (अपराध) का संबंधित विवरण जिसका उल्लेख किया गया है।	लागू नहीं होता

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

	लिया गया है।	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यारे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 की 43) की धारा 8 उपधारा (1) धारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहरी ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है/नही दिया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने सजाान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये सजाान लिया गया है।	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाान लेने के आदेश (आदेश) की तारीख।	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति।	लागू नहीं होता

(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नि और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ -

अ जंगम आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम से रकम जमा की तारीख, रकीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिये जाये हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रा/शयर डिपेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाग्रहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं महेन्द्र	पत्नि पखोबाई	आश्रित-1 प्रियका	आश्रित-2 रामानंद	आश्रित-3
(i)	हाथ का नकदी	5000रु	3000रु			
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य	बैंक ऑफ अडिया शाखा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमाणित किया जाता है

11/05/2018

	सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं, वित्तीय संस्थाओं, बैंक कारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम।	कोलारस में दिनांक 31.03.2017 को जमा राशि 11518रु				
(III)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिये गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VII)	जैवरात बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यारे	शून्य	2 तोला सोना 64000रु ढाई तोला चादी 10000रु	शून्य	शून्य	शून्य
(VIII)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IX)	समग्र कुल मूल्य	16518रु	77000रु	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा का उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में प्रथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं महेन्द्र	पत्नि पंखोबाई	आश्रित-1 प्रियंका	आश्रित-2 रामानंद	आश्रित-3
(1)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Handwritten signatures and text at the bottom of the page.

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(III)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2 कमरे : खुला आगन कीमत 100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Handwritten signature

Handwritten signature

क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	1500 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	1000 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, सर्निमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI) पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य।	100000 रु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्योरे नीचे देता हूँ :-
टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनके प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्योरे का पृथक विवरण दें :-

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं महेंद्र	पत्नि पंखोबाई	आश्रित-1 प्रियंका	आश्रित-2 रामानंद	आश्रित-3
(I)	बैंक/वित्तीय संस्था (संख्याओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास में बरतने वाले विभागों का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Handwritten signature

Handwritten signature

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवा कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(III)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	क्या कोई अन्य दायित्व विचारार्थीन है यदि हां तो अतर्कित रकम और उस अधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या रूप जीविका के ब्यारे :-

(क) स्वयं मजदूरी

(ख) पति या पत्नि मजदूरी

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है -

.....कक्षा 10 पास ग्राम खरई माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल. 2008
(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे दते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था. का ब्यारा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यारे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री महेंद्र
2	डाक का पूरा पता	ग्राम पहाडी पोस्ट देहरोद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	27 कोलारस मध्यप्रदेश
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खडा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र अभ्यर्थी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गये है।	लागू नहीं होता
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय	लागू नहीं होता

महेंद्र

महेंद्र

	(न्यायालयों) ने सज्जान लिया है. ऊपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न।		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए।	लागू नहीं होता	
 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ख) पति या पत्नि	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे (रूपों में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	विवरण	स्वयं महेन्द्र	पत्नि पंखोबाई	आश्रित-1 प्रियंका	आश्रित-2 रामानंद	आश्रित-3
क	जगल आस्तियां (कुल मूल्य)	16518रु	77000रु	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	100000रु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की दिकान्त/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
 की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III. अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) दिकान्त आस्तियां (कुल मूल्य)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पं. प्रदीप शर्मा

पं. प्रदीप शर्मा

11	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 10 पास ग्राम खरई माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल मध्यप्रदेश वर्ष 2008 (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्योरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें)					

सत्यापन

ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि-

- (क) मेरे ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामला नहीं है।
 (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व में भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख... 03/21/2018 की सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

(Handwritten signature)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AS 462159

शोध पत्र के सार संलग्न

प्रदेशिका

सं. 15/2012



Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to श्री. एम. प्रदीप राय की विधान सभा (Name of the House)
from 27 कोटासरा Constituency.

I श्री. ए. डी. शर्मा (name of candidate), son/daughter/wife of श्री. डी. ए. शर्मा
aged 35 years, resident of 5/12, प. 81, 2, ए. 2, 4, न. 8, कोटासरा, जिला, दिल्ली
a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at 2/21 (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on 2/21 (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached hereto. कोटासरा विधान सभा

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at 3 this the 2 day of 2018

DEPONENT

श्री. ए. डी. शर्मा

श्री. ए. डी. शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AS 462158

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

रुपय पत्र के साथ संलग्न

गैर न्यायिक

गैर न्यायिक

22/2/18



गैर-उपस्थितता की सूचना
राज्य स्वास्थ्य सेवा आयोग
के सम्मुख

स्वास्थ्य सेवा विभाग (स.प्र.)
साथलस क्रमांक 12/2001

नाम: गैर-उपस्थितता
 पता: राज्य स्वास्थ्य सेवा आयोग
 दिनांक: 3/2/2018 स्थान: पुणे
12-17 DM
 डॉ. का. सं. 969279481484
 को. 2196

गैर-उपस्थितता

3/2/2018

- टिप्पण 1— शपथ-पत्र नामांकन काईल करने का अंतिम दिन का 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 2— शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण 3— सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4— शपथ-पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना का आ 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया—

- (1) संख्यांक का आ. 728(अ), तारीख 8 मई, 2007।
- (2) संख्यांक का आ. 425(अ), तारीख 23 फरवरी 2011।